

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2011/आश्विन 1, 1933 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2011/ASVINA 1, 1933

No. 532]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 715(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 621 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में अभियोजन फाइल करने और उनके संचालन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है, अर्थातु:—

- 1. श्री एच. के. पांडे, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण)
- 2. श्रीमती सुनीता नरूला, सहायक निदेशक (अन्वेषण)
- 3. श्री ओम प्रकाश, सहायक निदेशक (अन्वेषण)
- 4. श्री डी. के. अरोड़ा, सहायक निदेशक (अन्वेषण)
- 5. श्रीमती सविता शर्मा, सहायक निदेशक (अन्वेषण)

[फा. सं. 5/37/2011-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2011

G.S.R. 715(E).—In pursuance of sub-section (1) of Section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise the following officers in the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, for the purposes of filing and conducting prosecution under the Companies Act, 1956, namely:—

- Shri H. K. Pandey, Senior Assistant Director (Investigation)
- Smt. Sunita Narula, Assistant Director (Investigation)
- Shri Om Prakash, Assistant Director (Investigation)
- Shri D. K. Arora, Assistant Director (Investigation)
- 5. Smt. Savita Sharma, Assistant Director (Investigation)

[F. No. 5/37/2011-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.